**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1196

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**स्कूलों के लिए भूमि का अधिग्रहण**

1196. श्री एन॰ गोकुलकृष्णनः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविएस) को विभिन्न राज्यों में स्वीकृत 51 स्कूलों के लिए अभी भूमि का अधिग्रहण करना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी इस तरह के अधिग्रहण में विलंब कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी संस्वीकृत स्कूलों का निर्माण पूरा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क): केन्‍द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) केन्‍द्रीय विद्यालयों के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं करता है। प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा केन्‍द्रीय विद्यालय स्‍थापित किए जाने के लिए उपयुक्‍त भूमि निशुल्‍क उपलब्‍ध कराई जाती है।

(ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): केन्‍द्रीय विद्यालयों हेतु स्‍थायी भवनों का निर्माण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है जोकि उपयुक्‍त भूमि की पहचान, प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा केन्‍द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के पक्ष में पट्टेदारी से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने, निर्माण एजेंसी द्वारा आरेखण/अनुमान प्रस्‍तुत करने, निधियों की उपलब्‍धता और अपेक्षित अनुमोदनों इत्‍यादि पर निर्भर करती है। इसीलिए, सभी संस्‍वीकृत स्‍कूलों का निर्माण पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा किसी विशिष्‍ट समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

**\*\*\*\*\***